राजस्थान सरकार

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 140/2022

GCMS No. 2022/369

1. नरेन्द्र सिंह पुत्र हरफूल सिंह उम्र 54 वर्ष
2. दिलबाग पुत्र हरफूल सिंह उम्र 42 वर्ष
3. निर्मला कंवर पुत्री स्व. हरफूल सिंह
4. उगम कुमारी चौहान पत्नी हरफूल सिंह
5. मान सिंह पुत्र प्रभू सिंह

जाति राजपूत निवासी ढाणी बाढान हाल आबाद देवता तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........वादीगण

**ब–ना–म**

राजस्थान सकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

........प्रतिवादी

**वाद घोषणात्मक खातेदारी एवं रिकार्ड दुरूस्ती**

**:: निर्णय ::** **दिनांक :–14–12–2022**

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम देवता तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता सं. 3 के ख.नं. 466 रकबा 2.86 है., ख.नं. 961/481 रकबा 0.70 है. किता 2 कुल रकबा 3.56 है. के खातेदार काश्तकार अमर बाई पत्नी प्रभू सिंह ढाणी बाढान दर्ज रिकार्ड है। अमर बाई पत्नी प्रभू सिंह राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज चला आ रहा है। अमर बाई का सही व वास्तविक नाम अमर बाई पत्नी बहादुर सिंह है। अमर बाई के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा सरपंच ग्राम पंचायत ढाणी बाढान व सरपंच ग्राम पंचायत देवता के द्वारा जारी प्रमाण पत्र से भी साबित है कि अमर बाई के पति का नाम प्रभू सिंह न होकर अमर बाई पत्नी बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी बाढ़ा है। प्रभू सिंह अमर बाई के ससुर का नाम है जो गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया हैं। अमर बाई ने अपने जीवनकाल में ही ग्राम देवता स्थित भूमि में अपने हिस्से की जमीन जो ख.नं. 466 रकबा 2.86 है., ख.नं. 480 रकबा 0.11 है., ख.नं. 481 रकबा 4.14 है. किता 3 कुलरकबा 7.11 है. के 1/2 भाग की भूमि जिसमें आवास भी बना रखा है तथा इस सम्पति के अलावा ढाणी बाढा में मकान व काश्त की भूमि में अमर बाई ने अपने हिस्से की भूमि की वसीयत दिनांक 28.06.1999 को गवाह रामसिंह पुत्र बिरजू सिंह राजपूत निवासी ढाणी बाढा व [illegible] सिंह पुत्र [illegible] सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी बाढा तहसील खेतड़ी की उपस्थिति में वादी [illegible] 4 के पिता व अमर बाई के देवर हरफूल सिंह व वादी सं. 5 मान [illegible] 1/2 [illegible] 2 भाग की वसीयत तहरीर कर तकमिल करवायी गयी जिसको [illegible] की उपस्थिति में पढ़ कर सुन व समझ कर सही मानते हुए अमर बाई ने [illegible] अंगूठा निशानी कर वसीयत [illegible] हरफूल सिंह व मान सिंह पुत्रान प्रभू सिंह के हक में [illegible] तहरीर व तकमिल करवाई [illegible] हरफूल सिंह का देहान्त हो चुका है। वादी सं 1 लगा. 4 हरफूल सिंह के वारिशान है।

उपखण्ड अधिकारी. खेतड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:07:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम देवता स्थित भूमि खाता सं. 3 हाल ख.नं. 466 रकबा 2.86 है., ख.नं. 961/481 रकबा 0.70 है. किता 2 कुल रकबा 3.56 है. की खातेदार काश्तकार अमर बाई को व खाता सं. 2 ख.नं. 480 रकबा 0.11 है., ख.नं. 481 रकबा 3.44 है. किता 2 कुल रकबा 3.55 है. के खातेदार सागर सिंह के वारिशान अन्तर बाई, राम सिंह, विक्रम सिंह बहिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड हो गया है व वर्तमान में इसी प्रकार से खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड चले आ रहे हैं। ग्राम देवता स्थित भूमि खाता सं. 3 हाल ख.नं. 466 रकबा 2.86 है., ख.नं. 961/481 रकबा 0.70 है. किता 2 कुल रकबा 3.56 है. की खातेदार काश्तकार अमर बाई का दिनांक 11.05.2022 को देहान्त हो चुका है। वादीगण ने अमर बाई की मृत्यु के उपरान्त जरिये वसीयतनामा अपने को खातेदारी में अपना नाम दर्ज करवाने को राजस्व अधिकारियों से निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि राजस्व रिकार्ड में अमर बाई के पति के रूप में अमर बाई पत्नी प्रभू सिंह दर्ज होने से हम यह नामांतरकरण दर्ज नहीं कर सकते। इसलिये वादीगण को यह वाद घोषणात्मक खातेदारी व रिकार्ड दुरूस्ती पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि :–

(क) वाके ग्राम देवता तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जामबन्दी संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता सं. 3 ख.नं. 466 रकबा 2.86 है., ख.नं. 961/481 रकबा 0.70 है. कुल किता 2 कुल रकबा 3.56 है. में दर्ज अमर बाई पत्नी प्रभू सिंह के स्थान पर अमर बाई पत्नी बहादुर सिंह दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे।

(ख) वाके ग्राम देवता तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जामबन्दी संवत् 2074 लगायत 2077 के खाता सं. 3 ख.नं. 466 रकबा 2.86 है., ख.नं. 961/481 रकबा 0.70 है. कुल किता 2 कुल रकबा 3.56 है. भूमि में अमर बाई के स्थान पर जरिये वसीयत वादी सं. 1 लगा. 4 को 1/2 हिस्से का व वादी सं. 5 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व/2022/1830 दिनांक 11.11.2022 से पटवारी, पटवार मण्डल जसरापुर की बिन्दुवार मूल रिपोर्ट अनुशंषा सहित भिजवाई है जो निम्नानुसार है :–

1. मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2074–2077 खाता सं. 3 राजस्व ग्राम देवता अमर बाई पत्नी प्रभूसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है जो न्यायालय निर्णय से खातेदार के नाम आई है।
2. राजस्व रिकार्ड में अमरबाई के पति का नाम प्रभूसिंह दर्ज है जो सहवन से गलत दर्ज हुआ है क्योंकि मुताबिक जांच एवं पूछताछ के खातेदार अमरबाई के पति का नाम बहादुर सिंह था।
3. प्रभूसिंह अमर बाई के पति का नाम न होकर ससुर का नाम था पति का नाम बहादुर सिंह ही था।
4. राजस्व रिकार्ड में दर्ज अमर बाई पत्नी प्रभूसिंह व अमर बाई पत्नी बहादुर सिंह दोनों एक ही है जिसका सही नाम अमर बाई पत्नी बहादुर सिंह है।
5. अमर बाई पत्नी प्रभूसिंह के स्थान [illegible] सिंह दुरूस्त किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:07:02 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की ओर से दस्[illegible] जमाबन्दी संवत् 2074–2077 खाता सं. 2, जमाबंदी [illegible] सं. 3 ग्राम देवता, फोटो प्रति वसीयतनामा (प्रदर्श–3ए), फोटो प्रति मतदाता पर्ची 3[illegible], मृत्यु प्रमाण पत्र अमर बाई, लिखावट सरपंच ग्राम पंचायत देवता व मानोता जाटान, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र हरफूल

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

सिंह, फोटो प्रति आधार कार्ड नरेन्द्र सिंह पेश किये तथा मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र नरेन्द्र सिंह (पी.डब्ल्यू.–1), अशोक सिंह (पी.डब्ल्यू.–2), मान सिंह (पी.डब्ल्यू.–3), उगम सिंह (पी. डब्ल्यू.–4) भी पेश किये गये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं पटवारी हल्का जसरापुर की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के मुताबिक वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## आदेश

अतः ग्राम देवता तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता सं. 3 में दर्ज खसरा नंबर 466 रकबा 2.86 है., ख.नं. 961/481 रकबा 0.70 है. कुल किता 2 कुल रकबा 3.56 है. में वर्तमान दर्ज खातेदार अमर बाई पत्नी प्रभू सिंह के स्थान अमर बाई पत्नी बहादुर सिंह दर्ज किया जाकर तत्पश्चात् उक्त वादग्रस्त भूमि के मृतक खातेदार अमर बाई पत्नी बहादुर सिंह के स्थान पर वादी सं. 1 लगा. 4 को 1/2 हिस्से का तथा वादी सं. 5 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14–12–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( जय सिंह )
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:07:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

# मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

**उनवान**

नरेन्द्र सिंह आदि

**ब–ना–म**

राजस्थान सरकार

दावा बाबत **घोषणात्मक खातेदारी एवं रिकार्ड दुरूस्ती**

मुकदमा नम्बर :– **140/2022**

निर्णय दिनांक :– **14–12–2022**

वादीगण की ओर से **श्री अजीत सिंह तंवर एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से .... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **14–12–2022** को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

**"अतः ग्राम देवता तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता सं. 3 में दर्ज खसरा नंबर 466 रकबा 2.86 है., ख.नं. 961/481 रकबा 0.70 है. कुल किता 2 कुल रकबा 3.56 है. में वर्तमान दर्ज खातेदार अमर बाई पत्नी प्रभू सिंह के स्थान अमर बाई पत्नी बहादुर सिंह दर्ज किया जाकर तत्पश्चात् उक्त वादग्रस्त भूमि के मृतक खातेदार अमर बाई पत्नी बहादुर सिंह के स्थान पर वादी सं. 1 लगा. 4 को 1/2 हिस्से का तथा वादी सं. 5 को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर रिकार्ड राजस्व दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।"**

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **14–12–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

( जय सिंह )
उपखण्ड अधिकारी एवं
...दन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:07:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner